आज़ादी का अमृत महोत्सव

समृद्ध पशुधन समृद्ध राष्ट्र
हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक

पशुधन बीमा योजना हरियाणा

आर्थिक सुरक्षा की जब हो चाह,
पशुधन बीमा की पकड़िए राह।

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

बेज नं. 9 – 12, पशुधन भवन, सैक्टर – 2, पंचकूला – 134112

फोन नं. 0172 – 2574663 – 64

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक

पशुधन बीमा योजना, हरियाणा

पशुधन बीमा योजना का संचालन केन्द्र सरकार (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) व राज्य सरकार के साझा सहयोग द्वारा किया जा रहा है । पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-2021 तक 3 लाख से अधिक पशुपालकों ने लगभग 6.43 लाख पशुओं का बीमा करवाकर एक नया आयाम स्थापित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों के पशुधन का बीमा करके पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पशुपालकों के पशुओं की अचानक मृत्यु से होने वाली क्षति से आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाने में यह योजना पूरी तरह मददगार साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 42 करोड रूपये की बीमा क्लेम राशि बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालकों को वितरित की जा चुकी है। बीमा योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा पुनः उक्त बीमा योजना को शुरू किया गया है।

बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित पशुधनः योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने पशुओं का बीमा करवा सकते है। योजना में दो प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है– बड़े पशु तथा छोटे पशु। बड़े पशुओं में– गाय, भैंस, झोटा (प्रजनन हेतु), सांड (प्रजनन हेतु), घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल इत्यादि और छोटे पशुओं में–भेड़, बकरी, खरगोश एवं सूअर का बीमा किया जाता है। प्रत्येक परिवार 5 पशुधन युनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन युनिट का अभिप्राय एक बड़ा जानवर अथवा 10 छोटे जानवर है। इसके साथ–साथ गौशालाऐं भी अपने पांच पशुओं का बीमा करवा सकती है। एक परिवार से आशय पति–पत्नी और डिपेंडैट बच्चों से है।

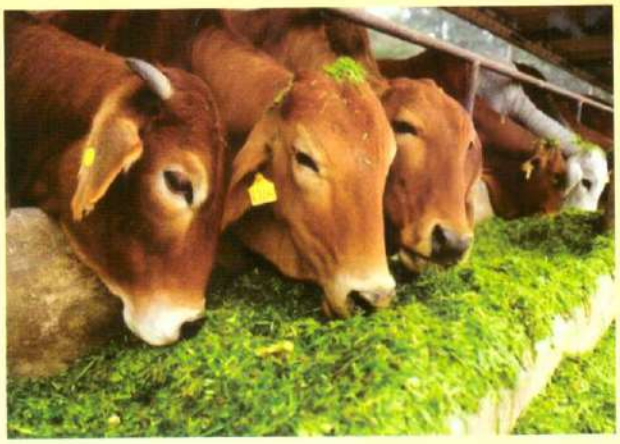

योजना का लाभ व पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थीः हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड एवं न्यू इण्डिया ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मध्य इकरार के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा एक पशुधन का एक वर्ष के लिए सुनिश्चित बीमा राशि का 1.49 प्रतिशत की दर से प्रीमियम लिया जाएगा, परन्तु सरकार द्वारा इस योजना का लाभ सस्ती दर पर अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जायेगा। इसी के साथ, अन्य वर्गों के लाभार्थी मात्र 100/200/300 रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष देकर अपने बड़े पशु का तथा मात्र 25 रूपये प्रति पशुधन प्रतिवर्ष देकर अपने छोटे पशु का बीमा करवा सकते है। पशुपालक का अंशदान प्रति पशुधन प्रतिवर्ष (रूपये 100/200/300) पशु की दुग्ध क्षमता के अनुसार तय किया जाएगा। जिसका विस्तार से विवरण तालिका पर दिया गया है। शेष प्रीमियम राशि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इतना ही नही पशुपालक अपने पशु का तीन साल (प्रीमियम दर पशुधन की सुनिश्चित बीमा राशि का 4.28 प्रतिशत) का बीमा भी करवा सकता है परन्तु तीन साल का पशुधन बीमा करवाने के लिए हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अनुमोदन अनिवार्य है।

पशुधन बीमा कवरेजः इस योजना के अन्तर्गत बीमित पशुधन की अकश्मिक एवं दुर्घटना मृत्य को कवर किया गया है। बीमा हो जाने के पश्चात् प्रारंभिक 21 दिन तक केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज शामिल है (पुलिस सूचना अनिवार्य)। पशु की अकश्मिक मृत्यु का कवरेज बीमा कराने के 21 दिन पश्चात् प्रारंभ होगा। पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नही की गई है। योजना के अन्तर्गत गाय और भैस का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू० 83000/- एवं 88000/- क्रमशः है, भारवाहक (पैक) पशुओं का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू 50000/- है। इसी तरह छोटे पशु (बकरी, भेड, सूअर इत्यादि) का अधिकतम सुनिश्चित मूल्य रू 10000/- है। गाय और भैस की बीमित राशि का निर्धारण पशुधन की दुग्ध क्षमता पर आधारित है (तालिका अनुसार)।

नोटः अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जायेगा।

तालिका

क्रम संख्या	पशुधन के प्रकार	बीमा करते समय पशु की आयु	पशुधन की अधिकतम सुनिश्चत बीमा राशि (औसत प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन के राशि अनुसार) (रूपये में)	लाभार्थी द्वारा देय राशि (प्रति पशु प्रति वर्ष)
1	दुधारू गाय	02-10 वर्ष तक	साहीवाल	
			40,000 तक (10 लीटर तक)	100
			41,000-60,000 (10 लीटर से अधिक व 15 लीटर तक)	200
			61,000-83,000 (15 लीटर से अधिक)	300
			हरयाणा	
			40,000 तक (12 लीटर तक)	100
			41,000-60,000 (12 लीटर से अधिक व 18 लीटर तक)	200
			61,000-83,000 (18 लीटर से अधिक)	300
			विदेशी व क्रास नस्ल	
			40,000 तक (10 लीटर तक)	100
			41,000-60,000 (10 लीटर से अधिक व 15 लीटर तक)	200
			61,000-83,000 (15 लीटर से अधिक)	300
2	दुधारू भैंस	03-10 वर्ष तक	60,000 तक (10 लीटर तक)	100
			61,000-70,000 (10 लीटर से अधिक व 15 लीटर तक)	200
			71,000-88,000 (15 लीटर से अधिक)	300
3	भारवाहक पशुधन (घोड़ा, गधा व खच्चर)	02-08 वर्ष तक	50,000	100
4	भेड़, बकरी और सूअर	01-03 वर्ष तक	मादा- Rs. 6000/- नर – Rs. 10000/-	25
5	बैल और भैंसा	02-10 वर्ष तक	30,000	100
6	सांड/झोटा (प्रजनन हेतु)	02-08 वर्ष तक	40,000	100
7	ऊंट	03-08 वर्ष तक	50,000	100
8	बछड़ा/बछड़ी व कटड़ा/कटड़ी (गाय व भैंस)	6 माह से 1 वर्ष तक	10,000	100
9	बहेड़ी/ओसर (गाय)	01-02 वर्ष तक	20,000	100
	झोटी/ओसर (भैंस)	01-03 वर्ष तक	20,000	100

नोटः– पशुधन की सुनिश्चित बीमा राशि पशुचिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार पशु का स्वास्थ्य / पशु का दुग्ध उत्पादन इत्यादि को ध्यान में रखते हुए घटाई जा सकती है।

नोटः अनुसूचित जाति के पशुपालकों के पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जायेगा।

पशुधन बीमा करवाने की विधिः पशुधन बीमा के लिये इच्छुक लाभार्थी SARAL **http://saralharyana.gov.in** पोर्टल या अपने निकटतम ई– सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर, अंत्योदय केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र व ई–दिशा केन्द्र) के माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है।

पशुधन बीमा करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़

- परिवार पहचान पत्र (अनिवार्य)
- मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाइसेंस / राशन कार्ड की कॉपी
- पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (पशु–चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)
- अनुसूचित जाति व बीपीएल का प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग पर लागू नही)
- प्रीमियम राशि (लाभार्थी अंशदान) रू. 100/200/300 प्रति पशुधन (बड़ा) प्रति वर्ष (विवरण तालिका अनुसार) तथा रूपये 25 प्रति पशुधन (छोटा) देकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- पशुधन का टैग (12 अंक एवं बार कोड) सहित लाभार्थी के साथ फोटो एवं पशुधन की चारों तरफ से साफ फोटो अनिवार्य है
- बैंक की नवीनतम पासबुक की कॉपी
- रद्द किए गए बैंक चैक की कॉपी
- पैन कार्ड की कॉपी।

पशुधन बीमा क्लेम प्राप्त करने की विधिः जानवर की मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी द्वारा न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड/हिन्दुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड को टोल फ्री नम्बर **1800 209 1415 / 1800 419 1415** पर **24** घण्टे (तुरंत) के अन्दर–अन्दर सूचना देनी होगी। इसके उपरांत लाभार्थी द्वारा अपने निकटतम ई–सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर पशुधन बीमा के लिए सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से क्लेम हेतु आवेदन देना होगा। बीमा कम्पनी के इकरार के अनुसार 24 घण्टे के अन्दर–अन्दर बीमा कम्पनी के सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण एवं पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही लाभार्थी पशु शव का निपटान कर सकता है।

इस प्रकार पशुपालक द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के उपरान्त निर्धारित समय में बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम राशि का भुगतान कर दिया जाऐगा।

पशुधन बीमा क्लेम प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज

- मृत पशु की सूचना
- बीमा पॉलिसी का प्रति
- कान का टैग
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- पशु चिकित्सक द्वारा लिखी गयी उपचार रिपोर्ट
- नवीनतम बैंक पासबुक की प्रति/कैंसिल चैक

नोटः–

1. इस योजना के तहत बीमित पशुधन को बेचे जाने की दशा में पशुधन बीमा का हस्तांतरण क्रेता के पक्ष में करने से पहले बीमा कम्पनी को सूचित करना अनिवार्य होगा एवं 50 रूपये शुल्क देकर बीमा का हस्तांतरण कराया जा सकता है (वर्णित शुल्क जमा करवाने उपरान्त ही बीमा कम्पनी हस्तांतरण क्रेता के पक्ष में तसदीक करेगी) अन्यथा पशुधन के क्रय या विक्रय हुए पशुधन की सूचना के अभाव में अगर पशुधन की मृत्यु हो जाती है तो दावे का भुगतान नही होगा।
2. पशुधन का टैग किसी भी कारणवश कान से निकल/गिर जाने की अवस्था में टोल फ्री नम्बर **1800 209 1415/1800 419 1415** पर बीमा कम्पनी को व अपने निकटतम पशु चिकित्साधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। दूसरा टैग लगाने के पश्चात् बीमा कम्पनी को सूचना देना अनिवार्य है। अन्यथा पुनः टैग हुए पशुधन की सूचना के अभाव में अगर पशुधन की मृत्यु हो जाती है तो दावे का भुगतान नही होगा।

सम्पादकः डा. श्रीकिशन बागोरिया, प्रबंध-निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला

सम्पर्क सूत्रः- 1. डा. सुखदेव राठी, उपनिदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला (9416791000)
2. डा. भारत भूषण सुनेजा, पशु चिकित्सक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला (9466209488)
3. डा. ललित कुमार, पशु चिकित्सक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला (9996537658)

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

बेज नं. 9–12, पशुधन भवन, सैक्टर–2, पंचकूला–134112

फोन नं. 0172–2574663–64

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय को सम्पर्क करें या QR कोड को स्कैन करें